

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 53/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. गोविन्दलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगन्नाथ पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. उदयलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. ऊंकारलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती कस्तुरी देवी पत्नी शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता देवीलाल जी नागदा (ब्राहमण), निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. जमनालाल पिता मोतीलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामचन्द्र पिता हेमराज जी कुमावत, निवासी धाबाई जी की पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 54/2023 (उदयपुर डिक्री)

1. गोविन्दलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. जगन्नाथ पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. उदयलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. ऊंकारलाल पिता शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)



5. श्रीमती कस्तुरी देवी पत्नी शंकरलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्तगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता देवीलाल जी नागदा (ब्राहमण), निवासी लखावली, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. जमनालाल पिता मोतीलाल जी ब्राहमण, निवासी मोरजाई, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामचन्द्र पिता हेमराज जी कुमावत, निवासी धाबाई जी की पुला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्टगण

- उपस्थित :- 1. श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्तगण
2. श्री अनिल टेलर अभिभाषक रेस्पों सं० 1 से 3
3. श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 4

-----::-----

अपीलें अन्तर्गत धारा-223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड
अधिकारी गिर्वा प्रारम्भिक डिक्री दि०
19.09.2013 अंतिम डिक्री दिनांक
20.06.2018 प्र.सं. 197/13 (197/11)

-----::-----

निर्णय

दिनांक 17-03-2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेटेठ में आराजी नंबर 398 मी., 398/19 कित्ता 1 रकबा 33 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम अंकित है एवं प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा है। उक्त जमीन का पूर्व में बंटवारा हो चुका है एवं पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः विवादित आराजियात का वादी एवं प्रतिवादीगण

के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अलग-अलग अंकन कराया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19-09-2013 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 20-06-2018 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 19-09-2013 से रूष्ट होकर अपीलान्तगण द्वारा अपील संख्या 54/2023 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 20-06-2018 के विरुद्ध अपील संख्या 53/2023 इस न्यायालय में दिनांक 11-07-2023 को प्रस्तुत की गयी हैं।

दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल टेलर उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। जबकि अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दोनों ही अपीलें अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 197/2013 (197/2011) में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरुद्ध होने से तथा दोनों अपीलों में विवादित आराजियात व पक्षकारान समान होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

दोनों अपीलें विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया कि अपीलान्तगण को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी प्रथम बार दिनांक 30-06-2023 को तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में धारा 136 के आदेश के विरुद्ध अपील करने के संबंध में जमाबन्दी की नकलें लेने पटवारी हल्का के पास गये। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलें प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाकर दोनों अपीलें अन्दर अवधि शुमार फरमायी जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील करीब 10 वर्ष विलम्ब से तथा अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा देरी का कोई युक्ति-युक्त कारण अपीलान्टगण ने नहीं बताया है। अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारम्भिक डिक्री से दिनांक 19-09-2013 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 20-06-2018 के विरुद्ध दिनांक 11-07-2023 को प्रस्तुत की गयी हैं, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर प्रारम्भिक डिक्री की अपील दिनांक 18-11-2013 तक तथा अंतिम डिक्री की अपील दिनांक 19-08-2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारम्भिक डिक्री के विरुद्ध अपील करीब 9 वर्ष 10 माह विलम्ब से तथा करीब 5 वर्ष 1 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा इसके लिए अपने प्रार्थना पत्र में जो कारण बताया है, वह इतने वर्षों विलम्ब के लिए युक्ति-युक्त कारण प्रकट नहीं होता है। तदनुसार दोनों अपीलें विलम्ब के आधार पर ही खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि फर्द अहकाम पर दिनांक 18-09-2013 अंकित होकर निर्णय पृथक से लिखाये जाने का अंकन है, किन्तु उक्त दिनांक की कोई निर्णय पत्रावली पर संलग्न नहीं है, बल्कि दिनांक 19-09-2013 की डिक्री संलग्न है, वह किस आधार पर बनायी गयी, यह आश्चर्य की बात है। इसके अलावा भी पत्रावली पर असल डिक्री नहीं होकर प्रमाणित फोटो प्रति की कॉपी है। पत्रावली को देखने से ही स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 की तामिल ही नहीं हुई है, न ही वे अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, फिर भी कथित डिक्री पारित कर दी। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण के पिता शंकरलाल जी की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है तथा सिर्फ वादी के हिस्से का बंटवारा किया गया है, शेष भूमि शामिल रखी गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर जारी अंतिम डिक्री निरस्त

योग्य है। अतः दोनों अपीलें स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

उक्त बहस का खण्डन करने हुए अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट ने बताया कि रजिस्टर्ड ए.डी. से तामील करायी गयी है तथा सूचना पत्र पर शंकरलाल के हस्ताक्षर हैं। एकपक्षीय डिक्री की उसी न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि उन्हें कभी तामील नहीं हुई, जबकि सूचना पत्र पर अपीलान्ट के पिता शंकरलाल के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त कथन विश्वसनीय प्रकट नहीं होता है। तदनुसार अपील प्रथम दृष्टया मेरिट पर भी खारिज योग्य प्रकट होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः दोनों अपीलें बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19-09-2013 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20-06-2018 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17-03-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासकीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

गोविन्दलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण बनाम मोहनलाल पिता देवीलाल नागदा(ब्राहमण)
निवासी मोरजाई, तह0 वल्लभनगर, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव,
जिला उदयपुर व अन्य जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....53/2021.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....19.....माह.....09.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....17.....माह.....03.....सन् 2025 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री ओंकारलाल डांगी.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री अनिल टेलर

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील बेरून
मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ
न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 19-09-2013 यथावत रखी
जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....17.....माह.....03.....2025
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील
(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलासकीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

गोविन्दलाल पिता शंकरलाल ब्राहमण बनाम मोहनलाल पिता देवीलाल नागदा(ब्राहमण)
निवासी मोरजाई, तह0 वल्लभनगर, निवासी लखावली, तहसील बड़गांव,
जिला उदयपुर व अन्य जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....54 / 2021.....व नाराजगी डिगरी अदालतउपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....20.....माह.....06.....2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....17.....माह.....03.....सन् 2025 रूबरू.....पक्षकारान
व हाजरी.....श्री ओंकारलाल डांगी.....मिनजानिब अपीलान्त व.....श्री अनिल टेलर

.....रेस्पोंडेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... अपील बेरून
मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ
न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20-06-2018 यथावत रखी
जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रुपये X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... Xअदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....17.....माह.....03.....2025
को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्त	रू0	पै0	रेस्पोंडेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।